

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज चिन्नीलाल / हम्पु	
१५ २	पत्रावली पेश हुई। वादी व अधिवक्ता अडुपमित्त बार-बार आवान लगाई गई। बाद अफ्त हाजरी व अफ्त पेशकी में खारिज किया जाता है। अफ्त नम्बर ले कम होकर ककमील लेख अफ्तार हो जाए	

